न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 13/2017 (राजसमन्द डिक्री)

श्री अर्जुनलाल पिता भंवरलाल जी ब्राह्मण निवासी धोईन्दा तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री हगामीलाल पिता भंवरलाल जी ब्राह्मण निवासी धोईन्दा तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द दिनांक 04–07–2016 प्रकरण संख्या 170/2012

–––––/–––––

उपस्थित :–1– श्री संजय बोहरा शक्तावत अभिभाषक अपीलान्ट

2– रेस्पोन्डेन्ट अनुपस्थित

–––––/–––––

निर्णय **दिनांक 31–01–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी अपीलान्ट द्वारा प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध धारा–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम धोईन्दा की आराजी नंबर 1524 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि वादी के स्वामित्व आधिपत्य की होकर वादी ही उस पर काबिज है। प्रतिवादी येन–केन प्रकारेण उस भूमि को हड़पना चाहते है तथा उसे बेदखल करना चाहते है। वादी ने प्रतिवादी को बे–जानकारी इस आराजी के सम्बन्ध में दानपत्र उप–पंजीयक राजसमन्द के यहां पंजीकृत करवा दिया है, जिसके विरूद्ध उच्च न्यायालय में वाद लम्बित है। वादी को स्थाई निषेधाज्ञा दिलवाई जाय।

प्रतिवादी द्वारा खण्डन का जवाबदावा पेश कर निवेदन किया कि वादी ने प्रतिवादी के पक्ष में दानपत्र निष्पादित कर उसे सोंप दिया है, कब्जा प्रतिवादी का है। वादी का इस भूमि में कोई हक नहीं रहा तथा न है। उसका कब्जा है। रिट पीटीशन भी दिनांक 17–12–2012 को खारिज हो चुकी है। वादी ने दानपत्र को शून्य घोषित करवाने के लिए सिविल वाद भी पेश कर रखा है। प्रकरण में पत्रावली वास्ते तनकीयात विचाराधीन थी, इसी दौरान प्रतिवादी ने दिनांक 22–12–2016 को धारा–151 जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि माननीय राजस्व उच्च न्यायालय द्वारा वादी की रिट याचिका खारिज कर दी है। अतएव अब वाद चलाये रखने का कोई औचित्य नहीं है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 25–5–2016 को जवाब आवेदन के लिए मुकर्रर थी, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 25–5–2016 के बाद सीधे प्रकरण दिनांक 4–7–2016 को लोक अदालत में रखकर वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर वादी अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 15–2–2017 को पेश की।

अपील के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन व प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 4–7–2016 की उसे कोई जानकारी नहीं थी। क्योंकि यह निर्णय प्रार्थी को सूचित किये बिना व सुने बिना पारित किया गया है। न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना के अनुपथित रहे।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा सिविल न्यायालय के प्रकरण एवं आदेशिकाओं की प्रमाणित प्रतिलिपियों एवं माननीय उच्च न्यायालय की अपील संख्या 24/2015 के आदेश दिनांक 25–2–2015 की प्रमाणित प्रतिलिपि भी रेकर्ड पर रखे जाने का आदेश दिया जाता है।

वकील अपीलान्ट की समायत शुदा बहस व पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहूंचे है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सूचित किये बिना तथा सुने

बिना निर्णय बिना किसी पक्ष की उपस्थिति व बहस सुने, सिर्फ इस आधार पर खारिज कर दिया है कि रिट खारिज हो चुकी है। इसके विपरित अपीलान्ट द्वारा अपील संख्या 24/2015 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण में स्थगन दिये जाने का निर्णय दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यदि प्राकृतिक न्याय का पालन करते हुए उभयपक्षों को सुनकर निर्णय किया जाता तो निर्णय नातिक एवं उपादेय हो सकता था। प्रथम दृष्टया ही अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय व स्थापित विधिक प्रक्रिया के प्रतिकूल होकर अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 4–7–2016 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 02–4–2018 को उपस्थित होवें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31–01–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.** .....मुकाम ..... **उदयपुर** व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

पृथ्वीसिंह पिता श्री तखता जी दसाणा राजपूत निवासी सुंखार तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)

बनाम

1– बाबूसिंह पिता लच्छा जी दसाणा राजपूत निवासी सुंखार तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द (राज0) अन्य–26 व सरकार

अपील नं0 **22/2012** बनाराजगी डिगरी अदालत..... **उपखण्ड अधिकारी** ..... **कुम्भलगढ़**..... मुकाम मुक्र्खे.....**12**.....माह.....**01**..... **2012**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**12**..... माह .....**12**..... सन् **2017.....** रूबरू..... पक्षकारान व हाजरी ....**श्री अतुल पालीवाल**..... मिनजानिब अपीलान्ट व .....**राजकीय अधिवक्ता**..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12–1–2012 यथावत रखा जाती है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....**12**..... माह ...**12**..... **2017** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा ..... 3. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।